भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3235

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी क्षेत्रों में जल संदूषण

3235. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हरियाणा, दिल्ली और इंदौर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर लाइनों के एक-दूसरे के अत्यंत निकट होने के कारण होने वाले जल संदूषण की घटनाओं का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, दशकों पुरानी पेयजल पाइपलाइनें सीवर लाइनों के समानांतर या उनके बीच से गुजरती हैं, जिससे रिसाव और परस्पर-संदूषण का जोखिम बढ़ जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जर्जर नेटवर्क की पहचान करने के लिए कोई राष्ट्रीय संपरीक्षा/मैपिंग की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और सीवर तथा पेयजल पाइपलाइनों को पृथक करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और किए गए वित्तीय प्रावधान क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): जल और स्वच्छता राज्य का विषय है; तथा जर्जर पाइपलाइन और जल निकासी/सीवरेज प्रणाली की मरम्मत राज्य सरकारों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनागत हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार

विभिन्न मिशनों/योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)/अमृत 2.0 के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि 28.12.2025 को इंदौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जोन-4, वार्ड संख्या 11 में स्थित भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी और दस्त की घटनाएँ रिपोर्ट की गईं थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में तीव्र अतिसार रोग के कारण 22 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। कुल 459 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा राज्य मानकों के अनुसार मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई थी। प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी/निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया था। इस क्षेत्र में वर्ष 1997 की पुरानी पाइपलाइनें हैं, जिनमें से कुछ क्षतिग्रस्त हैं। नगर प्रशासन भागीरथपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन के पुराने हिस्सों की पहचान कर चुका है और घटना से पहले 9.5 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी। इसके बाद 5.8 किमी नई पाइपलाइन बिछाने के लिए नया अनुबंध प्रदान किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी और दस्त की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने स्वास्थ्य विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त एवं त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की। सबसे पहले सभी बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल कॉलेज तथा प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कम बीमार व्यक्तियों की देखभाल स्वास्थ्य विभाग तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से की गई तथा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) के पैकेट और जल के कीटाणुशोधन के लिए क्लोरीन टैबलेट वितरित किए गए। पाइपलाइन और बोरवेल के माध्यम से पेय जल आपूर्ति को पूर्णतः बंद कर दिया गया तथा जल टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई। संदूषण के प्रकार का पता लगाने के लिए उपभोक्ता स्तर पर विभिन्न आपूर्ति स्थलों से नमूने एकत्र किए गए और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भेजा गया। जल के संदूषण से बचाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश द्वारा 10 जनवरी, 2026 से राज्य में “स्वच्छ जल अभियान” प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जल संरक्षण करना तथा जल से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना है।

इंदौर में पेय जल संदूषण की घटना से संबंधित मामला मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर में रिट याचिका संख्या 247/2026 एवं अन्य के रूप में न्यायाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.01.2026 के आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता को इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जल संदूषण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में संदूषण के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा जन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर अपने सुझाव देना शामिल है, जिनमें संदूषित जल के कारण प्रभावित निवासियों की वास्तविक मृत्यु की संख्या, रिपोर्ट किए गए रोग की प्रकृति, चिकित्सा प्रतिक्रिया की पर्याप्तता और निवारक उपाय, सुरक्षित पेय जल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्काल उठाए गए कदम, दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं निगरानी सुधार और भागीरथपुरा जल संदूषण घटना के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करना तथा प्रभावित निवासियों, विशेषकर कमजोर वर्गों, को मुआवजा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश सुझाने का भी दायित्व दिया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने दिल्ली में जल संदूषण की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय जैसे क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन, पाइपलाइनों की फ्लशिंग, जल आपूर्ति का क्लोरीनीकरण तथा सीवरेज एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। कुछ पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राचीन शहरी विकास के कारण जल आपूर्ति पाइपलाइनें और सीवर लाइनें समानांतर चलती हैं। संदूषण के जोखिम को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड नियमित निरीक्षण, रिसाव का पता लगाने तथा मरम्मत कार्य करता है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि पश्चिम क्षेत्र (04 विधानसभा क्षेत्र) तथा दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र (09 विधानसभा क्षेत्र) में जल आपूर्ति में सुधार और पुरानी पाइपलाइनों के प्रतिस्थापन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के शेष क्षेत्रों के लिए अभी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है।

हरियाणा में दिसंबर, 2025 में गुरुग्राम के सेक्टर 70-70ए में स्थित एक निजी कॉलोनी में एक घटना की सूचना मिली। गुरुग्राम नगरपालिका विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा जल की मुख्य आपूर्ति प्रदान की जाती है। कॉलोनाइज़र द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि व्यक्तिगत मकान मालिकों के जल भंडारण टैंक साफ नहीं थे। तत्पश्चात इन टैंकों की सफाई कर दी गई और समस्या का समाधान कर दिया गया।

शहरी क्षेत्रों में पेय जल का संदूषण ऐसी समस्या है, जिसके विभिन्न कारक होते हैं और सामान्यतः इसका कारण वितरण प्रणाली की कमजोरियां तथा सीवरेज और स्वच्छता इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्टरफेस होता है। शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किया जाने वाला पेय जल भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस आईएस 10500 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है; तथापि, संचरण, भंडारण और वितरण प्रणालियों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिचालन, पर्यावरणीय तथा रखरखाव से संबंधित कारणों के चलते जल की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। पेय जल आपूर्ति में संदूषण के प्रमुख कारणों में रिसाव, पाइप फटना और दोषपूर्ण जोड़, सीवरेज तथा जल निकासी प्रणालियों का क्रॉस-कनेक्शन, जर्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षरण, अनियमित जल आपूर्ति तथा नकारात्मक दाब, जल का ठहराव और लंबे समय तक जल का बने रहना, भंडारण और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपर्याप्त रखरखाव तथा सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था आदि शामिल हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मार्च 2024 में "जल आपूर्ति और शोधन प्रणाली नियमावली (ड्रिंक फ्रॉम टैप)" प्रकाशित की है, ताकि राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेय जल की गुणवत्ता तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी के संबंध में इसका संदर्भ लिया जा सके। (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supplyandtreatment-systems---drink-from-tap---march-2024.php)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में अमृत 2.0 के अंतर्गत "सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शहरों में जल गुणवत्ता निगरानी का सुदृढ़ीकरण" विषय पर एक परामर्शिका सभी राज्यों को जारी की है, जिसमें राज्य या शहर स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी कार्यनीति तैयार करने तथा जन सूचना और जागरूकता के लिए जल गुणवत्ता मानकों के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करते हुए, शहरी क्षेत्रों में पेय जल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी, 2026 में सभी राज्यों को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों तथा जर्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यापक आकलन करने, जल आपूर्ति लाइनों के निकट स्थित सीवर लाइनों के क्रॉसिंग बिंदुओं की पहचान करने तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की रोकथाम के उद्देश्य से अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तैयार किए गए जियो-स्पेशियल डाटाबेस का उपयोग करते हुए वर्तमान जल आपूर्ति और सीवर नेटवर्क का डिजिटल मानचित्रण करने के लिए कहा गया है।

अमृत/अमृत 2.0 के दिशा-निर्देश पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर, संवेदनशील क्रॉसिंगों तथा दाब-प्रबंधित प्रणालियों के प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, ताकि राज्य की प्राथमिकता के अनुसार संदूषण के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अमृत 2.0 मिशन चयनित जिला मीटर्ड क्षेत्रों (डीएमए)/वार्डों में गुणवत्ता आश्वासन सहित 24x7 जल आपूर्ति, ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) गुणवत्ता का पेय जल, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, सेंसर तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली, जल गुणवत्ता परीक्षण में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

अमृत के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 43,378.59 करोड़ रुपये की लागत की 1403 जल आपूर्ति परियोजनाएँ तथा 34,471.1 करोड़ रुपये की लागत की 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई थीं। अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक 1,19,670.51 करोड़ रुपये की लागत की 3,531 जल आपूर्ति परियोजनाओं (जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण लागत भी शामिल है) तथा 65,624.98 करोड़ रुपये की लागत की 584 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है।

अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तथा राज्यों के साथ तालमेल के माध्यम से अब तक शहरी क्षेत्रों में 246 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तथा अमृत शहरों में तालमेल के माध्यम से 182 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के माध्यम से लाभान्वित परिवार भी शामिल हैं) प्रदान किए गए हैं। अमृत शहरों के साथ तालमेल करते हुए 93,457.51 किलोमीटर लंबा जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है तथा 26,995.61 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है।

अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में स्काडा प्रणाली जैसी स्मार्ट निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में स्काडा प्रणाली का प्रावधान किया गया है। मिशन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का समर्थन करता है, ताकि अवैध कनेक्शनों को न्यूनतम किया जा सके। मिशन के अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए प्रति कनेक्शन 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन रखरखाव प्रणाली, डिजिटल निगरानी तथा ऊर्जा दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट एलिमेंट, फ्लो मीटर, प्रेशर वाल्व आदि के उपयोग का भी समर्थन करता है।

सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए राज्यों द्वारा डीएफटी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं तथा राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर में कम से कम एक डीएफटी परियोजना को किसी डीएमए या वार्ड में

कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत 348 शहरी स्थानीय निकायों में 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 1,153 डीएमए सहित 407 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अमृत मित्र पहल के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जल गुणवत्ता परीक्षण, संचालन एवं रखरखाव सहयोग, बिल वितरण तथा जागरूकता गतिविधियों में शामिल किया गया है।

****